जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 13.04.2024

थाना आदर्शमण्डी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा फाइनेन्स कलेक्शन के रुपये गबन करने के मामले में फरार 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फाइनेन्स कलेक्शन के 07 लाख रुपये बरामद।

ज्ञात हो कि दिनाँक 11.04.2024 को श्री विवेक मित्तल पुत्र श्री अरविन्द कुमार मित्तल निवासी वर्मा मार्केट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा फ्यूजन माइक्रो फाइनेन्स के 7,22,500/- रुपये व सतिन माइक्रो फाइनेन्स के कलेक्शन के 4,00,000/- रुपये, गबन कर फरार हो जाने के सम्बन्ध में एजेण्ट अनुज राघव पुत्र श्री रणधीर सिंह निवासी मौहल्ला रेलपार के विरुद्व थाना आदर्श मण्डी पर लिखित तहरीर दी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 13.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा फाइनेन्स कलेक्शन के रुपये लेकर फरार होने के मामले में 01 अभियुक्त को होटल शान्ति पैलेस कटरा जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अनुज राघव पुत्र श्री रणधीर सिंह निवासी मौहल्ला रेलपार जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

फाइनेन्स कलेक्शन की राशि कुल 7 लाख रुपये बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.है0का0 सुशील बुटार सर्विलांस जनपद शामली।

3.है0का0 विकास कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ कुकर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 13.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे बच्चों के साथ हो रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ कुकर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 12.04.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने के सम्बन्ध में परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सेठपाल उर्फ सेठू पुत्र बनारसी निवासी ग्राम कण्डेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 राजकुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 आशीष कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.हो0गा0 1562 अमरपाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>सर्विलांस/एसओजी टीम एवं थाना आदर्शमण्डी की संयुक्त कार्यवाही में जवाहर नवोदय विद्यालय से लापता हुए नाबालिग छात्र को सकुशल बरामद कर, परिजनों के सुपुर्द किया गया।</u>

दिनांक 05.04.2024 को वादी श्री संजीव धीमान पुत्र ज्योतिराम निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली का पुत्र आर्यन जवाहर नवोदय विद्यालय शामली से गुमशुदा हो जाने के सम्बंध में थाना आदर्शमण्डी पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0: 57/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त गुमशुदा छात्र की शीघ्र बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये थे।

जिसके क्रम में दिनांक 12.04.2024 को सर्विलांस/एसओजी टीम व थाना आदर्शमण्डी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गुमशुदा हुए छात्र को सहारनपुर रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया गया है। बरामद छात्र को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। थाना आदर्शमण्डी पर गुमशुदा छात्र की बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- गुमशुदा छात्र आर्यन धीमान ने पूछताछ पर बताया कि मैं होली की छुट्टी के बाद छात्रावास में वापस आया तो छात्रावास मैं मेरा मन नहीं लगा तथा दिनांक 04.04.2024 की रात्रि में जब छात्रावास के सभी बच्चे सो गये थे तभी में पीछे की तरफ निकलकर दिवार के सहारे होता हुआ दीवार से बाहर कूदकर आ गया और पैदल पैदल चलकर रेलवे स्टेशन पहुंचा तथा दिल्ली की ट्रेन पकड ली। दिल्ली पहुंचकर कुछ समय दिल्ली स्टेशन पर रहकर दिल्ली स्टेशन से हरिद्वारा को जाने वाली ट्रेन में बैठकर दिनांक 05.04.02024 को हरिद्वार चला गया तथा दो दिन हरिद्वार रहकर वापस शामली आ गया। शामली में यूनियन बैंक के पास से मैंने एक मोबाईल की दुकान से 3300 रुपये का मोबाईल फोन खरीदा तथा दिनांक 08.04.2024 को मैं पुनः दिल्ली चला गया तथा दिनांक 09.04.2024 को पुनः दिल्ली से हरिद्वारा जाने वाली ट्रेन में बैठकर हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में हर की पौडी पर स्नान किया तथा रेलवे स्टेशन पर ही दो दिन व्यतीत किये तथा दिनांक 12.04.2024 को मैं हरिद्वार से ट्रेन पकडकर सहारनपुर गया जहां पुलिस द्वारा मुझे थाने वापस लाया गया।

गुमशुदा छात्र का नाम पताः-

1.आर्यन धीमान पुत्र श्री संजीव धीमान निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

गुमशुदा को बरामद करने लाने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव चौधरी एसओजी टीम जनपद शामली।
2.प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन कुमार शर्मा थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
3.उ0नि0 श्री फतेह सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद शामली।
4.उ0नि0 श्री ब्रजपाल शर्मा थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
5.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह एसओजी टीम जनपद शामली।
6.हे0का0 विकास थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
7.हे0का0 नितिन त्यागी एसओजी टीम जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन कर जनसभा करना तथा जनसभा में अभद्र भाषा का प्रयोग कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य भाषण देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वायरल वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

दिनांक 12.04.2024 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत आचार संहिता का उल्लंघन कर जनसभा करना तथा जनसभा में अभद्र भाषा का प्रयोग कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य भाषण देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर वायरल वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले अभियुक्त की पहचान कर चिन्हित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 13.04.2024 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन कर जनसभा करना तथा जनसभा में अभद्र भाषा का प्रयोग कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य भाषण देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वायरल वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.भूपेन्द्र पुत्र वेदपाल सिंह ग्राम हिंड थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
2.है0का0 संजीव कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 40 लीटर कच्ची शराब बरामद।

आज दिनांक 13.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/हिस्ट्रीशीटर की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 हिस्ट्रीशीटर को अवैध 40 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.उमरदराज उर्फ काला पुत्र युनुस उर्फ नूसा निवासी ग्राम बल्लामजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 40 लीटर कच्ची शराब।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 161/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.मु0अ0स0 720/2010 धारा 414 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.मु0अ0स0 763/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
4.मु0अ0स0 541/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
5.मु0अ0स0 53/2013 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
6.मु0अ0स0 निल/2013 धारा 102 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
7.मु0अ0स0 10/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
8.मु0अ0स0 88/2020 धारा 3/8 सीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
9.मु0अ0स0 346/2020 धारा 8/21 NDPS Act थाना झिंझाना जनपद शामली।
10.निवारक कार्यवाही न0 77/2020 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
11.मु0अ0स0 216/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
12.मु0अ0स0 217/2021 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
13.मु0अ0स0 371/2021 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
14.निवारक कार्यवाही न0 52/2021 धारा 110जी सीआरपीसी थाना झिंझाना जनपद शामली।
15.मु0अ0स0-447/2022 धारा 398/401 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
16.मु0अ0स0-448/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अजयपाल सिह झिंझाना जनपद शामली।
2.है0का0 अंशुल पूनिया झिंझाना जनपद शामली।
3.का0 मोनू कुमार झिंझाना जनपद शामली।
4.का0 ललित मोहन राठौर झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तंमचा, कारतूस व अवैध 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामदः-

आज दिनांक 13.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 01 तंमचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व अवैध 10 पेटी अंग्रेजी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.मुबारिक पुत्र इरशाद निवासी ग्राम औदरी थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 पेटी अंग्रेजी शराब (कुल 120 बोतल)।

2.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 190/18 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.हे0का0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 शान्तनु कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा दहेज उत्पीडन व मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 13.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा दहेज उत्पीडन व मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध मे थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 25.01.2024 को कैराना क्षेत्रान्तर्गत पीडिता द्वारा दहेज उत्पीडन व मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश थानाध्यक्ष कैराना को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.साहिन उर्फ साईन पुत्र हाकम अली निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 40/24 धारा 498ए/323,354ख,376,504 भादवि व 3/4 दहेज प्रति0 अधि0 थाना कैराना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अमरदीप थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 मानवेन्द्र थाना कैराना जनपद शामली।